मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सन्दीप कुमार **बनाम** प्रभुराम आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 14/2021

निर्णय दिनांक :– 6-12-2021

वादी की ओर से वकील मंगेराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर से वकील सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं० 322/319 के खसरा सं० 142, 378, 382, 581, 633/581 कुल 33.765 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 प्रभुराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 प्रभुराम के बजाए वादी संदीप कुमार को 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 प्रभुराम को 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

शिविर प्रभारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
कैम्प कणाऊ 2021

Scanned with CamScanner